



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02122022-240704
CG-DL-E-02122022-240704

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622]
No. 622]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2022/अग्रहायण 10, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2022/AGRAHAYANA 10, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2022

फा. सं. 12015/05/2021-क्यूए.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 10 की उप-धारा 5 के साथ पठित धारा 45 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में दिनांक 02 जुलाई, 2021 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या फाइल सं. 12015/05/2021-क्यूए में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, —

सारणी में,

1. क्रम संख्या 167 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां संबंधित कॉलम में अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

क्र.सं.	खाद्य विश्लेषक और प्रयोगशाला का नाम
"168	सुश्री रूबी मिश्रा राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाज़ियाबाद"

एस गोपालकृष्णन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
[विज्ञापन-III/4/असा./441/2022-23]

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में फाइल सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 02 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित की गई थी:

1. फा.सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 30 नवम्बर, 2021;
2. फा.सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 15 फरवरी, 2022;
3. फा.सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 10 जून, 2022;
4. फा.सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 17 अगस्त, 2022; और
5. फा.सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 18 नवम्बर, 2022।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2022

F. No. 12015/05/2021-QA.—In exercise of the powers conferred under sub section 5 of section 10 read with section 45 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number F.No. 12015/05/2021-QA published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 2nd July, 2021, namely: —

In the table,

1. After serial number 167, the following entries shall be inserted in respective columns namely: -

S. No.	Name of the Food Analyst & Laboratory
“168	Ms. Ruby Mishra National Food Laboratory, Ghaziabad”

S GOPALAKRISHNAN, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./441/2022-23]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, vide notification number F. No. 12015/05/2021-QA dated 2nd July 2021 and subsequently amended *vide* notification numbers:

1. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 30th November 2021;
2. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 15th February 2022;
3. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 10th June 2022;
4. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 17th August 2022; and
5. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 18th November, 2022.